



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35314

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6293/2026

राजेश मद्धेशिया

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की है:-

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 06.02.2026 के अभ्यावेदनों पर विचार करें और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उन पर निर्णय लें।

(II). परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 4 के अवैध कृत्य के विरुद्ध

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उचित कार्रवाई करें और ग्राम कराहन, परगना और तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जिला मऊ में स्थित आराजी संख्या 757-ए (क्षेत्रफल 0.0490 हेक्टेयर) पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ।"

2. यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के समक्ष दिनांक 06.02.2026 को पहले ही एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है; अतः, यह रिट याचिका दायर की गई है।
3. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 उपर्युक्त अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेगा।
4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, तथा पक्षों के अधिवक्तों की सहमति से, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जाती है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, दिनांक 06.02.2026 के अभ्यावेदन की प्रति संलग्न करते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 (उप-विभागीय अधिकारी, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जिला मऊ) के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे; साथ में इस आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष, ऊपर बताए गए समय के भीतर, कोई ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और शीघ्रता से—और अधिमानतः, याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर—उचित आदेश पारित करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

17 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”